उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-132/2017/1290/92-2-2017-198(जांच)/2015
लखनऊ :: दिनांक:: 26 जुलाई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-सहारनपुर में चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम कुराली में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप टी0ए0सी0 की जांच आख्या दिनांक 12.06.2017 के अनुसार परिलक्षित शासकीय क्षति, जी0एस0बी0 में बैलास्ट की मात्रा कम पाये जाने एवं शिथिल नियन्त्रण आदि के लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री एस0पी0 गौड., सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-सहारनपुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-132/2017/1290(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्प्रीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-जी-29/एस0टी0-सी0टी0ई0/2717-140-141/26/2015-16, दिनांक 12-06-2017 की प्रति इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में अरोप पत्र गठित कर शासन में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।(छायाप्रति संलग्न)
2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- श्री एस0पी0 गौड., सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-सहारनपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanades .up.nic.in